

Neutral Citation No. - 2023:AHC-LKO:83386

Court No. - 11

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 12342 of 2023

Applicant :- Jogendra

Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Deptt. Civil Sectt. Lko And 5 Others

Counsel for Applicant :- Yuga Raj Singh, Vandana Rawat

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania, J.

1. Heard learned counsel for the applicant and Sri Anirudh Singh, learned AGA for the State and perused the record.

2. By means of the present application, the applicant has challenged the order dated 04.10.2023 passed in Criminal Misc. Case No. 576/2022 CIS No. 576/2022 (Jogendra Versus Bahuran and Others), whereby Additional Sessions Judge Court No. 2 District Sitapur, rejected the application preferred by the applicant under Section 5 of Limitation Act 1963 (in short 'Act of 1963'), which was preferred with the prayer to condone the delay in challenging the order dated 14.02.2020 passed in Complaint Case No. 3793/2019 whereby trial court summoned the accused/opposite parties under Section 147/323/504/506 IPC fixing 01.05.2020 as date of appearance.

3. The impugned order dated 04.10.2023 reads as under:-

"प्रभावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 3क अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अवधि अधिनियम पर सुना गया तथा प्रभावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

प्रार्थी जोगेन्द्र की ओर से प्रार्थना-पत्र 3क अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अवधि अधिनियम, न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर के द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 14.02.2020 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांकित 14.02.2020 के माध्यम से परिवादी जोगेन्द्र के परिवाद पर अभियुक्तगण बहोरन आदि के विरुद्ध तलबी आदेश पारित किया गया है। उक्त तलबी आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी जोगिन्द्र द्वारा पुनरीक्षण याचिका दिनांक 03.09.2022 को इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्तगण को गंभीर धाराओं में विचारण हेतु आहूत किया जाए। प्रार्थी द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2020 को कोरोना काल में तलबी आदेश पारित किया गया था, अतः उसे उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो पायी थी।

पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि तलबी आदेश दिनांक 14.02.2020 को पारित हुआ था, परन्तु यह पुनरीक्षण याचिका दिनांक 03.09.2022 को अर्थात् तलबी आदेश पारित होने के लगभग दो वर्ष, सात माह बाद योजित की गई है, जबकि काफी समय पूर्व ही कोरोना का प्रभाव समाप्त हो चुका था। मूल परिवाद संख्या-3793/2019, जिसमें कि आक्षेपित तलबी आदेश दिनांकित 14.02.2020 पारित हुआ है, वह परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् पारित आदेश है, इस प्रार्थना-पत्र का प्रार्थी जोगेन्द्र, परिवाद संख्या-3793/2019 में परिवादी था और उक्त परिवाद में पारित आदेश दिनांकित 14.02.2020 परिवादी जोगेन्द्र के परिवाद-पत्र पर उसके ही पक्ष में पारित आदेश था, अतः आदेश दिनांकित 14.02.2020, जो कि प्रार्थी जोगेन्द्र के पक्ष में पारित आदेश है, इसकी जानकारी प्रार्थी को लगभग दो वर्ष, सात माह तक नहीं हो सकी, यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः इतने लम्बे लगभग दो वर्ष, सात माह के विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 3क अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अवधि अधिनियम स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 3क अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अवधि अधिनियम निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल संग्रहशाला हो।"

4. At this stage, this Court feels it appropriate to refer paragraph nos. 4 to 6 of the application preferred by the applicant under Section 5 of the Act of 1963, which are as under:-

"धारा 4- यह कि न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर के द्वारा कोरोना काल की अवधि के दौरान तलती आदेश दिनांक 14.02.2020 को पारित किया गया है उस दौरान न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित प्रतिबन्धित होने के कारण प्रार्थी को उक्त आदेश के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी जिस कारण विधि व्यवस्था में निर्धारित समय सीमा के अन्दर उक्त आदेश के विरुद्ध परिस्थितिवस निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सका।

धारा 5- यह कि प्रार्थी के द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब परिस्थिति व जानकारी के अभाव के कारण हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है।

धारा 6- यह कि प्रार्थी के विलम्ब को क्षमा कर निगरानी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।"

5. A perusal of the order impugned dated 04.10.2023 indicates that the concerned court after observing that the applicant has failed to explain the delay of 2 years and 7 months in preferring the revision has rejected the application for condonation of delay.

6. Upon due consideration of the observation made by the concerned court and the submission of learned Counsel for the parties particularly the submission of learned Counsel for the applicant that on account of Corona Pandemic the order dated 14.02.2020 could not be challenged within reasonable time as also the explanation given in paragraph nos. 4 to 6 as also the observation of the Hon'ble Apex Court made in the case of *Suo Motu Writ Petition No. 3 of 2020 (Cognizance for extension of time)*, this Court is of the view that applicant has not given the proper explanation to condone the delay.

7. Thus, this Court is not inclined to entertain the present application and it is accordingly *dismissed*.

Order Date :- 18.12.2023

Jyoti/-